म0प्र0 में अनुसूचित जनजाति एक जनसांख्यिकी अध्ययन

शोधार्थी- महेश कुमार अहिरवार(सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय लिधौरा, जिला टीकमगढ़(मप्र)

शोध निर्देशक - डॉ. रोहन प्रकाश दुनेरिया(सहायक प्राध्यापक, समाजशास्त्र)
अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, निवाड़ी, जिला - निवाड़ी (मप्र)
विश्वविद्यालय- महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, छतरपुर (मप्र)

अनुसूचित जनजातियॉ –

भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख उनसमुदायो के रूप में किया गया है जो सवंधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि केवल वे समुदाय जिन्हे राष्ट्रपति द्वारा प्रारंभिक लोक अधिसूचना के जरिए अथवा संसद के अधिनियम में अनुवर्त संशोधन के जरिए इस प्रकार घोषित किया गया है, को अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत 700 से अधिक जनजातियां अधिसूचित है, जो देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में फैली हुई हैं अनेक जनजातियॉ एक से अधिक राज्यों में मौजूद है। अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित समुदायों की सबसे अधिक संख्या अर्थात 62 उड़ीसा राज्य में है।

''अनुसूचित जनजातियॉ ''शब्द की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 366 (25) में इस प्रकार की गई है, ''ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय या इन जनजातियों और जनजातीय समुदायों का भाग या उनके समूह के रूप में, जिन्हें इस संविधान के उद्देश्यों के लिए अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियॉ माना गया है'' या अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में अनुसरण किए जाने की प्रकिया निर्धारित की गई है।

संविधान के **अनुच्छेद 342 के खंड (1)** के अधीन राष्ट्रपति, किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र, तथा जहां यह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के परामर्श से जनजातियों या जनजातीय समुदायो या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों के रूप में अधिसूचित कर सकते है। इससे जनजाति या इसके भाग को संविधान में किए गए प्रावधान का आहान करते हुये उनके संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में उनहें संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

अनुच्छेद 342 का खण्ड (2) संसद को किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय या इनके भागों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने या हटाने के लिए कानून पारित करने की शक्तियां प्रदान करता है। इस प्रकार किसी विशेष राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में अनुसूचित जनजातियों का पहला विनिर्देश संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रपति के अधिसूचित आदेश द्वारा होता है। राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों से संबंधित अनुसूचित जनजाति को विनिर्दिष्ट करने वाले आदेशों की सूची अनुलग्नक–5 क में दी गई है। राष्ट्रपति का आदेश संसद के अधिनियमों के द्वारा संशोधित किया गया है।

किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने के लिए अपनाये जाने वाले मानदंड निम्नलिखित है:

- आदिम लक्षणों के संकेत
- विशिष्ट संस्कृति
- भौगोलिक एकाकीपन
- समुदाय के साथ स्वछंद सम्पर्क में संकोच, तथा
- पिछड़ापन।

जहॉ कोई व्यक्ति जन्म से अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करता है वहां वह सत्यापित किया जाना चाहिए–

- कि वह व्यक्ति या उसके माता – पिता दावा किए गए समुदाय से संबंधित है,
- कि वह समुदाय अपने संबंधित राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों को विनिर्दिष्ट करने वाले राष्ट्रपति के आदेश में शामिल है।
- कि वह व्यक्ति उस राज्य तथा उस राज्य के अंतर्गत उस क्षेत्र से संबंधित है जिसका समुदाय अनुसूचित किया गया है।कि वह या उसके माता –पिता /दादा–दारी आदि उसके मामले में लागू राष्ट्रपति के आदेश को अधिसूचित करने की तारीख को उस राज्य /सघ राज्य क्षेत्र के स्थायी निवासी होने चाहिए।
- वह किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है।

वह व्यक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा लागू आदेश की अधिसूचना जारी होने के समय अपने स्थायी निवास स्थान से अस्थाई रूप से दूर होता है अर्थात उदाहरण के लिए जीविकोपार्जन या शिक्षा प्राप्त करने आदि के कारण तो उसके मामले में उसे भी अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, यदि उसकी जनजाति/समुदाय की उस आदेश में उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में विनिर्दिष्ट किया गया है। परन्तु इस तथ्य के बावजूद कि उन राज्य में जहां वह अस्थायी रूप से बस गया है, के संबंध में उसकी जनजाति के नाम को राष्ट्रपति के किसी आदेश में अधिसूचित किया गया ह, उसके अस्थाई निवास के संबंध में उसे राष्ट्रपति के वक्त आदेश में शामिल नहीं माना जा सकता है। राष्ट्रपति के संबंधित आदेश के अधिसूचित होने की तारीख के पश्चात पैदा हुए लोगों के सम्बंध में अनुसूचित जनजाति की हैसियत प्राप्त करने के लिए वह निवास स्थान मान्य होगा जो उक्त आदेश जिसके तहत उन्होंने इस प्रकार की जनजाति होने का दावा किया है–

- यदि एक व्यक्ति राज्य के उस भाग जिसके संबंध में उसका समुदाय अनुसूचित है, से उसी राज्य के दूसरे भाग जिसके संबंध में वह समुदाय या अनुसूचित नहीं है, में चला जाता है तो वह व्यक्ति उस राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य समझा जाता रहेगा।
- यदि एक व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है तो वह केवल अपने मूल राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा कर सकता है और उस राज्य के संबंध में नहीं जिसमें वह बस गया है।

- इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त यह है कि कोई भी व्यक्ति जो जन्म से अनुसूचित जनजाति का नहीं है, उसे केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं माना जाएगा कि उसने एक अनुसूचित जनजाति सं संबंधित व्यक्ति से विवाह कर लिया है। इसी प्रकार कोई व्यक्ति जो किसी अनुसूचित जनजाति का सदस्य है वह अपनी शादी उस व्यक्ति जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित नहीं है, के साथ हो जाने के बाद भी अनुसूचित जनजाति का सदस्य बना रहेगा।

26 जनवरी, 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के बाद ही जनजातियों एवं जनजाति को 'अनुसूचित जनजाति' की विशिष्ट संज्ञा देने की जरूरत महसूस हुई। भारत सरकार के अधिनियम,1935 में 'पिछड़ी जनजातियों का संदर्भ है एवं भारत सरकार के आदेश 1936 की तेरहवीं अनुसूचि के अंतर्गत असम, बिहार, उड़ीस, मध्यप्रांत तथा बेराट, मद्रास और बम्बई की कुछ जनजातियों को पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। सर्वप्रथम ''आदिम जनजातियों' को अनुसूचित करने का प्रयत्न 1931 की जनगणना के समय हुआ था। जब स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था उस समय भारतीय आदिवासियों (जंगल में निवास करने वाली जातियों को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों सें संबंधित किया है, जैसे रिजले आदि कई विद्वानों ने इन्हे 'आदिवासी' कहा है, हट्टन ने इन्हे 'आदिम जातियाँ कहा है सर बेन्स ने इन्हें 'पर्वतीय जनजातियाँ' कहा है, सेल्जनिक तथा मार्टिन ने इन्हे 'सर्वजीव वाही' कहा है, धूरिये ने इन्हे आदिवासी अथवा पिछडा हिन्दू कहा हैं। इनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान रखे गये। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 330 में इन आदिवासियों अथवा जनजातियों के नाम गिनाकर एक सूची तैयार की गई। इसलिए इन सबकों एक संवैधानिक नाम अनुसूचित जनजातियाँ कहा जाता है।

अतः स्पष्ट है कि 'अनुसूचित जनजाति' एक संवैधानिक शब्दावली है, जिसका प्रथम प्रयोग भारतीय संविधान में हुआ है। नवीनतम आँकड़ो के अनुसाद देश के 26 राज्यों तथा केन्द्र शासित राज्यों में लगभग 106 विविध भाषाएं बोलने वाले 460 समुदायों को 'अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है। उल्लेखनीय है कि देश के दो राज्यों पंजाब तथा हरियाणा एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशा दिल्ली, चंडीगढ़ और पांडिचेरी में जनजातियॉ न होने के कारण इन्हे जनजाति अनुसूचित में निर्दिष्ट नहीं किया गया है।

<u>अनुसूचित जनजाति की विशेषताएँ</u> :–

अनुसूचित जनजातियों की विशेषताओं को जनजातियों को सामान्य विशेषताओं से पृथक् करना एक कठिन कार्य है फिर भी, अनुसूचित जनजातियों में पई जाने वाली प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित है:–

1. अनुसूचित जनजातियाँ आर्थिक दृष्टि से अधिक पिछड़ी हुई है। उनकी अर्थव्यवस्था अत्यन्त सरल तथा अविकसित होती है।

2. अनुसूचित जनजातियों की आधे से अधिक (55 प्रतिशत) जनसंख्या पूर्वी तथा मध्य जनजातीय क्षेत्रों (पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, उड़ीसा तथा आन्ध्रप्रदेश का कुछ भाग) तथा एक चौथाई से थोड़ा अधिक (28 प्रतिशत) भाग पश्चिमी जनजातीय क्षे (गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, दादरा व नगर हवेली, दमन तथा दीव) में निवास करता है।

3. अनुसूचित जनजातियाँ शिक्षा की दृष्टि से पिछड़ी हुई है। 2001 ई. की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियाँ की अखिल भारतीय साक्षरता दर 47.1 प्रतिशत है, जबकि साक्षरता का राष्ट्रीय औसत 64.8 प्रतिशत है। जनजातीय महिलाओं में साक्षरता के प्रतिशत में और अधिक अन्तर है। जनजातीय महिलाओं की साक्षरता का औसत केवल 34.8 प्रतिशत है, जबकि देश की सामान्य महिलाओं का साक्षरता का औसत 53.7 प्रतिशत है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए इनके शैक्षिक उत्थान हेतु अनेक योजनाएँ प्रारंभ की गई है।

4. अनुसूचित जनजातियों हेतु पंचायतों तथा स्थानीय निकायों से लेकर राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा तक आरक्षित स्थानों की व्यवस्था की गई है ताकि नीति निर्माण में इनकी समुचित सहभागिता सुनिश्चित हो सकें।

5. अनुसूचित जनजातियों को केन्द्र तथा राज्य सरकारों की सेवाओं में आरक्षण सुविधाएँ प्रदान की गई है। इन्हें नौकरियों में आयु सीमा में छूट, उपयुक्तता के मापदण्डों में छूट तथा अनुभव संबंधी योग्यताओं में छूट प्रदान की गई है ताकि नौकरियों में इनका समुचित प्रतिनिधित्व हो सकें।

6. अनुसूचित जनजातियाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछड़ी हुई है। इसका प्रमुख कारण इन्हें आधुनिक चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध न हो पाना है।
7. अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास हेतु राज्यों में कल्याण विभागों की स्थापना की गई है, जो कि अनुदान प्रदान किए जाते है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और बच्चों के हित सुरक्षित करने के लिए केन्द्रीय कल्याण राज्यमंत्री की अध्यक्षता में सलाहकार बोर्ड की स्थापना की गई है।

8. पंचवर्षीय योजनाओं में अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु विशेष प्रावधान किए जाते है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में आदिवासियों के विकास तथा कल्याण से संबंधित अनेक कार्यक्रमों तथा योजनाओं को स्थान दिया गया है। आदिवासी उपयोजना कार्यक्रम का लक्ष्य है–गरीबी को दूर करना। बीस सूत्री कार्यक्रमों में सर्वोच्च स्थान गरीबी के विरूद्ध संघर्ष को दिया गया था। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे देश में आधिकाधिक आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है।

9. आर्थिक शोषण अनुसूचित जनजातियों की एक प्रमुख समस्या है। इस समस्या के समाधान हेतु भारतीय जनजातीय विपणन विकास संघ के स्थापना की गई है ताकि इनका आर्थिक शोषण कम हो सके। वन से प्राप्त सामग्रियों के विपणन के सम्बंध में सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। मध्यप्रदेश में अब नई तेंदूपत्तों की नीति से ठेकेदारों के आदमी आदिवासियों का शोषण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तेंदूपत्ता एकत्र कराने का कार्य सहकारिता के अंतर्गत आ गया है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की दृष्टि से सरकार के द्वारा सम्बंधित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम आदि को आदिवासी क्षेत्रों में लागू किया गया है।

10. संविधान की पाँचवी अनुसूची में अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों वाले तथा राष्ट्रपति के निर्देश पर अनुसूचित आदिम जातियों वाले राज्यों में आदिम जाति के लिए सलाहकार परिषदों की स्थापना की व्यवस्था है। आन्ध्रप्रदेश , उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, पंश्चिम बंगाल, बिहार, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में ऐसी परिषदों की स्थापना की जा चुकी है। ये परिषदें आदिवासियों के कल्याण संबंधी विषयों पर राज्यपालों को परामर्श देती है।

11. अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के अध्ययन एवं उनके समाधान के कारगर उपायों की खोज करने के उद्देश्य से आदिवासी शोध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई है। भारत में छठी पंचवर्षीय योजना के पूर्व भुवनेश्वर (1953ई.), कोलकाता (1955ई.), पटना (1959ई.), पुणे, अहमदाबाद, शिलांग (1962ई.), हैदराबाद (1963ई.), उदयपुर (1968ई.) कालीकट, लखनऊ (1971ई.) तथा गुवाहटी (1977ई.) में ऐसे अनेक शोध केन्द्रो की स्थापना की गई है। इन विभिन्न शोध केन्द्रो ने आदिवासियों की समस्याओं के संदर्भ में 168 विविध सर्वेक्षणात्मक एवं शोधपूर्ण अध्ययन किए हैं।

12. केन्द्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए बनाए गए संवैधानिक तथा कानूनी सुरक्षा उपायों को लागू करने पर विशेष ध्यान दिया जाता है तथा इसके प्रभावशाली क्रियान्वयन पर भी अधिक जोर दिया जा रहा है।
13. जनजाति के पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार ने 1954 में जनजाति अनुसंधान केन्द्र की स्थापना छिंदवाड़ा में की थी।
14. 1965 में इसका स्थानांतरण भोपाल कर दिया गया।
15. इसका उद्देश्य जनजातियों के जीवन, संस्कृति, आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रवृतियों का अध्ययन कर जनजातियों की कार्यशील प्रवृतियों का संरक्षण करना।
16. श्री बादलभोई राज्य जनजाति संग्रहालय नाम से एक राज्य जनजाति म्यूजियम छिंदवाड़ा में 1964 में स्थापित किया गया था।

17. झाबुआ जिले की भील–भिलाला जनजातियों में दापा प्रथा प्रचलित है।
18. दापा प्रथा में वधु मूल्य वर पक्ष से लिया जाता है।
19. इस प्रथा को समाप्त करने के लिए साथीदार अभियान (अक्टूबर 2016) से चलाया गया।
20. आदिम जनजातियों के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक पहलू टोटम या टोटमवाद है।

मध्यप्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ :–

2011 की जनगणना के अनुसार मध्यप्रदेश में (21.10%) अनुसूचित जनजातियाँ है। मध्यप्रदेश में इनकी सर्वाधिक संख्या है तथा इनके प्रकार भी सर्वाधिक है। लगभग 24 प्रमुख जनजातियाँ सहित कुल 46 जनजातियाँ यहाँ निवास करती है, अपनी उपजातियों सहित इनकी संख्या लगभग 90 हो जाती है। मध्यप्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 15316784 जो अन्य प्रदेशो में सर्वाधिक है। राज्य के सभी जिलों में अनुसूचित जनजातियॉ निवास करती है, लेकिन उनकी संख्या अलग अलग है जो

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले
तालिका –1

क्र.	जिला	जनसंख्या
01.	धार	1222814
02.	बड़वानी	962145
03.	झाबुआ	891818
04.	छिंदवाड़ा	769778
05.	बैतूल	730169

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले
तालिका –2

क्र.	जिला	प्रतिशत
01.	अलीराजपुर	89.0%
02.	झाबुआ	67.0%
03.	बड़वानी	69.4%
04.	डिण्डोरी	64.7%
05.	मंडला	57.9%

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले
तालिका –3

क्र.	जिला	जनसंख्या
01.	भिण्ड	6131
02.	दतिया	15061
03.	मुरैना	17030
04.	मंदसौर	33092
05.	शाजापुर	37836

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले
तालिका –4

क्र.	जिला	प्रतिशत
01.	भिण्ड	0.4%
02.	मुरैना	0.9%
03.	दतिया	1.9%
04.	मंदसौर	2.5%
05.	भोपाल	2.9%

सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले
तालिका –5

क्र.	जिला	प्रतिशत
01.	छतरपुर	42.6%
02.	शिवपुरी	42.0%
03.	बुरहानपुर	36.8%
04.	अशोकनगर	35.6%
05.	खंडवा	34.9%

न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले
तालिका –6

क्र.	जिला	प्रतिशत
01.	मंदसौर	11.5%
02.	भिंड	8.8%
03.	उज्जैन	8.5%

04.	शाजापुर	7.2%
05.	सागर	13.0%

जनजाति /उपजातियां के जिलेवार निवास का विवरण

तालिका –7

जनजाति	उपजातियां	निवास स्थल
गोंड	परधान, अगरिया, ओझा,	प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यतः
	नगारची	विन्ध्य और सतपुड़ा अंचल में
भील	बरेला, भिलाला, पटरिया, रैथास	धार, झाबुआ, खंडवा, खरगौन, बुरहानपुर, बड़वानी
बैगा	बिंझावार, नरोतिया, भतोरिया, नागर, राय, मैना, कठमैना	मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, अनुपपूर
कोरकू	मोवासी, रूम, बवारी, बोडोया,	खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा देवास
भारिया	भूमिया, भूईहार, पंडा	छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, शहडोल, सीधी पन्ना
कोल	रोतिया, रौतेले	रीवा, सतना, शहडोल, सीधी , सींगरोली, अनुपपुर
माडिया	अबूझमाडिया, दण्डामी, माडिया, मेटाकोईतुर	जबलपुर, मंडला, शहडोल, पन्ना, छिंदवाड़ा, गुना, शिवपुरी, मुरैना, श्यौपुर, ग्वालिर, दतिया, विदिशा, राजगढ़
सउर	–	छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, सागर, दमोह
अगरिया	–	मंडला, डिण्डौरी,सीधी, शहडोल
परधान	–	सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, बैतूल
खैरवार	–	सीधी, सिंगरौली, अनुपपूर, शहडोल, पन्ना, छतरपुर

निष्कर्षः–

2011 की जनगणना के अनुसार देश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत 8.6 है। जबकि मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या के 21.10 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियाँ है जो देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक है। भारतीय संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 366 (25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ इन समुदायों के रूप में करता है। जिन्हे संविधान के अनुसार अनुसूचित जनजातियों के आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह है जो राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक, मुख्यतः वनो और पहाड़ी, इलाको में फैली हुई है। इनकी मुख्य विशेषताएँ आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, विशिष्ट संस्कृति, बाहरी समुदाय से संपर्क करने में संकोच एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है। मध्यप्रदेश में 46 जनजातियाँ निवास करती है, अपनी उपजातियों समेत इनकी संख्या 90 के लगभग हो जाती है। प्रदेश में इनकी जनसंख्या 15316784 (21.10%) है, प्रदेश के कुल 24 जिले आदिवासी जिलों में शामिल किए गए है, जिनके तहत 152132 वर्ग कि.मी. क्षेत्र हैं। प्रदेश में धार, झाबुआ, अलीराजपुर,बड़वानी एवं डिण्डोरी जिलों में 50% से अधिक आबादी अनुसूचित जनजातियों की है।

संदर्भ ग्रंथ सूँची

1. एमपी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
2. आदिवासी विकास विभाग, म.प्र.शासन
3. जनगणना 2011 मध्यप्रदेश
4. भारत में अनुसूचित जनजातियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची (पीडीएफ) से 9 अेल 2018 कोसंग्रहित
5. राजनीतिक समाजशास्त्र (डॉ. डी.एस. बघेल एवं डॉ. टी.पी. सिंह)
6. समाजशास्त्र नई दिशाएँ (एस.एल.दोषी, पी.सी. जैन)